रिपोर्ट पटवार हल्का गोलेड

श्रीमान जी के आदेश क्रमांक पत्रांक दीनदयाल उपाध्याय नगरवाड़ा दिनांक 9.7.25 ग्राम गोलेड में मिले प्रार्थी के संबंध में राजस्व रिपोर्ट का प्रार्थी के आवेदन के संबंध में जांच करने पर जाहिर आया कि राजस्व ग्राम गोलेड के नामा ले 478 दिनांक 28-6-2002 से प्रार्थी सुमेर सिंह पुत्र भगवान सिंह रामेश्वर w/o सुमेर सिंह के नाम ख.न. 9/1 भूमि आवंटित हुई थी जिसका अंकन जमाबन्दी के नोट लगाते समय भजमेर w/o सुमेर सिंह के स्थान पर रामेश्वर w/o सुमेर सिंह कर दिया है जिसकी वजह से वास्तविक जमाबन्दी के रामेश्वर w/o सुमेर सिंह दर्ज है।

अतः श्रीमान जी वास्ते अग्रिम कार्यवाही आदेशार्थ रिपोर्ट सादर पेश है।

पटवारी
30/7/25

Weermaram
30-7-25

श्रीमान जी

निवेदन है कि पटवारी हल्का गोलेड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में रामेश्वर w/o सुमेर सिंह था परन्तु सहवश रामेश्वर w/o सुमेर सिंह दर्ज हो गया है जिसकी भूल सुधार करवाना चाहता है रिपोर्ट अवलोकार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

पटवारी

श्रीमान तहसीलदार महोदय

रिपोर्ट पटवारी एवं रिकार्ड के अनुसार नामांतरण उचित है। अतः आख्या एवं हस्ताक्षरों के आधार पर नामांतरण करने 17.9.25

29/9/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Prakash Verma
Date: 2025.10.27 09:00:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner